राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी/मॉनि.–1/प्र. समीक्षा/2016–17 दि. 13 फरवरी, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– **<u>मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना</u>** के अपूर्ण आवासों को मार्च, 2017 तक पूर्ण कराने बाबत्।

वर्ष 2011–12 के बजट में वर्ष 2011–12 से 2013–14 राज्य सरकार की प्रतिभूति पर विभिन्न जिला परिषदो द्वारा हडको से फ्लोटिंग ब्याज दर पर ऋण द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना प्रारम्भ की। योजना के कियान्वयन हेतु इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देश ही प्रभावी है।

इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार "किसी बाह्य एजेन्सी द्वारा मकानों का निर्माण एवं डिलीवरी नहीं की जावेगी तथापि सरकारी विभाग एवं एजेन्सियां तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते है अथवा यदि लाभार्थी की इच्छा हो तो उसे सीमेन्ट, इस्पात या ईंट आदि की समन्वित आपूर्ति की व्यवस्था कर सकते है। परन्तु, 60 वर्ष के अधिक आयु वाले बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो ओर जिन्होंने ऐसी सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया हो, के मामलों में निर्माण कार्य प्रतिष्ठित एजेन्सियों को सौपा जा सकता है।"

योजनान्तर्गत प्रभावी इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों के उक्तानुसार बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार यदि लाभार्थी की इच्छा हो तो उसे सीमेन्ट, इस्पात या ईंट आदि की समन्वित आपूर्ति की व्यवस्था अथवा बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों आदि जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो ओर जिन्होंने ऐसी सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया हो, के विशेष मामलों में निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें। ऐसे विशेष मामलों के आवासों की बकाया किश्तें सम्बन्धित लाभार्थी की लिखित में अनुरोध/सहमति उपरान्त ही जिला परिषद् स्तर से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर नियमानुसार देय शेष किश्तों की राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान न कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भुगतान किया जा सकेगा।

अतः **<u>मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत</u>** उक्तानुसार विशेष शिथिलता प्रदान कर सम्बन्धित लाभार्थी की लिखित में अनुरोध/सहमति उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यकारी संस्था बनाकर अपूर्ण आवासों को मार्च, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

10.2.2017
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रावि एंव पंरावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. जिला कलक्टर समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, हडको, हडको भवन, जयपुर।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)